Gmail econtent Of Arts <econtentofarts@gmail.com>

B A (Part3rd)Hobbs ,Theory of sovereignty,Anjani Kumar Ghosh, Political Science

1 message

ANJANI GHOSH <anjanighosh51@gmail.com> Wed, Jul 8, 2020 at 12:01 PM
To: econtentofarts@gmail.com

प्रभुसत्ता का सिद्धांत (Sovereignty Theory):

प्रभूसत्ता, राज्य की एक ऐसी असंयमित शक्ति है जिसको विग्रह बल (Coerciveforce) का समर्थन प्राप्त है और जिसका कार्य-क्षेत्र एक नियत प्राकृतिक क्षेत्र के अंदर स्थित सभी संस्थाओं और व्यक्तियों पर है । प्रभुसत्ता की आधुनिक परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि वह विधि का निर्माण करने और उसका प्रशासन करने के लिए राज्य का अनियंत्रित एवं सर्वोच्च अधिकार है और जिससे राज्य को पूरा विग्रह बल प्राप्त है ।

यहाँ राज्य के अधिकार और प्रभुसत्ता में कोई अंतर नहीं है । प्रभुसत्ता के बारे में हम चाहे जैसे भी विचार दें लेकिन यह सत्य है कि प्रभुसत्ता संबंधी यह विचार हॉब्स से पहले अज्ञात था । अतः हॉब्स को सही अर्थ में "आधुनिक प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य का पिता" कहा जाता है परंतु इस अवधारणा का श्रेय बोदा (Bodin) को ही प्राप्त है ।

हॉब्स का प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत:

हॉब्स प्रभुसत्ता का प्रबल समर्थक है । उसकी प्रभुसत्ता का आधार सामाजिक संविदा (समझौता) है स्पष्ट या अस्पष्ट किसी भी रूप में हो, संविदा या अनुबंध से ही प्रभुसत्ता प्राप्त होती है । हॉब्स के अपने ही शब्दों में प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारी वह व्यक्ति है "जिसके कार्यों से जनसाधारण पारस्परिक प्रसंविदा द्वारा अपने आपको बाध्य मानता है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह उन सबकी शक्ति और साधनों का इस प्रकार प्रयोग करें जिस प्रकार वह उनकी शांति तथा सामान्य रक्षा के लिए समयोचित समझता है ।"

इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रभुसत्ता ऐसे कानून बनाने की शक्ति में निहित है जो सारी प्रजा पर बाध्यकारी है । हॉब्स का 'लेवियाथन' अथवा सम्पूर्ण सर्वप्रभुत्व सम्पन्न शासक पूर्णतः निरंकुश है । उसका आदेश ही कानून है । उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है । प्रभुसत्ता निरपेक्ष, अविभाज्य, स्थाई एवं अदेय है । उसका हस्तक्षेप कार्यों और विचारों पर है ।

बोन्दा ने प्रभुसत्ता पर जो मर्यादाएं लगाई है हॉब्स ने उन्हें हटा दिया है । गैटेल के अनुसार "हॉब्स के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा लेखक नहीं हुआ है जिसने प्रभुसत्ता के बारे में इतना अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया हो ।"

अतः हॉब्स के प्रभुसत्ता के सिद्धांत को सही प्रकार समझने के लिए उसकी विशेषताओं को जानना जरूरी है जो निम्नलिखित है:

हॉब्स के प्रभुसत्ता की विशेषताएं:

1. संप्रभुसत्ता अप्रतिबंधित तथा सर्वव्यापक है:

संप्रभु को सर्वसाधारण पर असीमित अधिकार प्राप्त है , वह निरपेक्ष है । उसकी विधि निर्माण शक्ति किसी भी मानवीय शक्ति से अप्रतिबंधित है और उसके आदेश सभी पर समान रूप से लागू होते हैं । हॉब्स का मत है कि, "संप्रभु की घोषणा चूंकि एक बड़े भाग के सहमतिपूर्ण स्वर से होती है । अतः उसे भी जो उससे सहमत नही हैं, शेष से सहमत होना चाहिए अर्थात् उसे सम्प्रभु के सब कार्यों से सहमत होना चाहिए अन्यथा यह न्याय होगा कि शेष उसे नष्ट कर दें ।"

हॉब्स का मानना है कि राज्य में संप्रभु का कोई भी समकक्ष अथवा प्रतिद्वंदी नहीं होता ,संप्रभु ही कानूनों का व्याख्याता भी है । प्राकृतिक कानून भी उस पर बंधन नहीं लगा सकते क्योंकि वे वस्तुतः कानून न होकर विवेक के आदेश होते हैं जिनके

पीछे किसी विवशकारी शक्ति का अभाव होता है । दैवी कानून भी संप्रभु को प्रतिबंधित नहीं करते क्योंकि वही उनका व्याख्याता होता है ।

2. संप्रभुसत्ता निरंकुश होती है:

हॉब्स राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौते का वर्णन करता है और कहता है कि यह समझौता मनुष्यों द्वारा आपस में राजनीतिक विचार विमर्श के द्वारा किया गया है जिसमें संप्रमुसत्ता शामिल नहीं होती । समझौते में शामिल न होने के कारण वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है तथा वह पूर्णतः निरंकुश होती है । अतः स्पष्ट है कि संप्रभु की सत्ता अपार है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है और वह निरंकुश होता है ।

3. सम्प्रभु का कोई कार्य अन्यायपूर्ण नहीं हो सकता:

हॉब्स का मत है कि संप्रभुसत्ता का कोई भी कार्य अन्यायपूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि वह उन सब व्यक्तियों की प्रतिनिधि होती है तथा उसमें उन सब व्यक्तियों के हित निहित होते हैं जिन्होंने परस्पर समझौता करके उसकी स्थापना की होती है ।

राज्य सत्ता के किसी भी कार्य से अगर किसी व्यक्ति को कष्ट पहुँचता है तो उसमें संप्रभु का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि जो कुछ वह करती है उसका अधिकार उसे उस व्यक्ति की ओर से होता है जिसे कोई कष्ट पहुँचा है । हॉब्स का यह मानना है कि संप्रभुसत्ताधारी अनौचित्य पूर्ण कार्य कर सकता है, पर अन्याय या हानि नहीं कर सकता ।

4. संप्रभुसत्ता मतों व नीतियों की निर्णायक एवं नियंत्रक होती है:

हॉब्स के अनुसार संप्रभु शक्ति का अधिकार व्यक्ति के शरीर पर ही नहीं होता वरन् उसके विचारों व विश्वासों पर भी होता है क्योंकि लोगों के विचारों व विश्वासों पर भी समाज की शांति व व्यवस्था निर्भर होती है, जिसे बनाए रखना उसका एकमात्र उद्देश्य होता है ।

5. संप्रभुसत्ता मनुष्य के सम्पत्ति संबंधी अधिकारों व कार्यों का नियमन करती है:

हॉब्स ने बोदा द्वारा संप्रभु पर लगाए गये सम्पत्ति संबंधी बंधन को ठुकरा दिया है । उनके अनुसार संप्रभु ही सम्पत्ति का सृजनहार है क्योंकि वही समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित करता है जिसके फलस्वरूप लोग धनोपार्जन कर पाते हैं ।

धन-संग्रह से ही सम्पत्ति का उत्पादन होता है । अतः संप्रभुसत्ता को संपत्ति संबंधी विधायन का अधिकार है । वह संपत्ति का विधाता है तथा करारोपण और प्रजा की संपत्ति लेने तक का अधिकारी है । उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह करारोपण के बारे में जनस्वीकृति ले ।

6. संप्रभुसत्ता अविभाज्य व अपृथक्करणीय होती है:

हॉबर के अनुसार संप्रभु सत्ताधारी की शक्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता और न ही उसके किसी भाग को संप्रभु के अतिरिक्त किसी अन्य में निहित किया जा सकता है । उसके विविध अधिकारों के प्रयोग की अंतिम शक्ति उसी में निहित होती है, क्योंकि ऐसा न होने पर शासन कार्य का सुचारू रूप से संचालन संभव नहीं हो सकता ।

7. प्रभुसत्ता की शक्ति किसमें है अथवा इसका प्रयोग कौन करेगा?:

बोदा की भांति ही हॉब्स ने भी शासन-प्रणालियों का अंतर इस बात पर आधारित किया है कि प्रभुसत्ता का निवास कहीं है ,यदि प्रभुसत्ता एक व्यक्ति में निहित है तो शासन का स्वरूप राजतंत्र है, कुछ व्यक्तियों में निहित है तो कुलीनतंत्र है और सब लोगों में निहित है तो लोकतंत्र है । मिश्रित अथवा सीमित शासन-प्रणाली की बात करना व्यर्थ है क्योंकि प्रभुसत्ता अविभाज्य है ।

हॉब्स ने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना है क्योकि , प्रथम तो इसमें राजा का और राज्य का वैयक्तिक तथा सार्वजनिक हित एक होता है, एवं द्वितीय इसमें शासन का स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है ।हलाकि राजतन्त्र में कृपा पात्रों को धन और अधिकार देने की प्रवृत्ति होती है, तथापि कलीनतंत्र और लोकतंत्र में यह प्रवृत्ति बहुतअधिक बढ़ जाती है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हॉब्स का सम्प्रभुता सम्बन्धी सिद्धान्त तत्कालीन राज्यो को ध्यान में रखकर दिया गया था पर आधुनिक समय के लिए भी यह प्रसांगिक है।